अपील सूचना का अधिकार संख्या 136/2020 (GCMS 2020/00231) (पोस्ट ऑर्डर नं. 48एफ–312528) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसनें अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2020 से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पांच बिन्दुओं की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्री राजेश लीला, उपखण्ड कार्यालय, श्रीगंगानगर में पीए के पद पर नियुक्ति की सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर में जिस अवधि से जिस अवधि तक श्री राजेश लीला पदस्थापित रहे, उस अवधि की सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।
3. जिला निर्वाचन विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश से अन्य विभागों में जिस अवधि से जिस अवधि तक पदस्थापित रहे उसकी सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।
4. नगरपरिषद, श्रीगंगानगर में जिस अवधि में जिस अवधि तक कार्यरत रहे उस अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 136/2020

5. श्री राजेश लीला के मूल विभाग का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 37(3)(60)(RTI)निर्वा/2020/2005 दिनांक 31.08.2020 से अपीलार्थी को उसके प्रार्थना के बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगानगर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2020 जो इस कार्यलय में धारा 6(3) के तहत अंतरिक होकर दिनांक 07.08.2020 को प्राप्त हुआ है, आप द्वारा प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 2 व 3 में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में अवधि स्पष्ट नहीं होने की वजह से सूचना दी जानी संभव नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 में चाही गई सूचना प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.2011 द्वारा जारी निर्देश/ प्रश्न 10 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है एवं निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/2/2008 आईआर दिनांक 10.07.2008 के अन्तर्गत "सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री में से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गये निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में आपके आवेदन में अंकित बिन्दु संख्या 2 व 3 से संबंधित सूचना के संबंध में आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2020 अस्वीकार कर निस्तारण किया जाता है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
श्रीगंगानगर

आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6045 दिनांक 18.12.2020 से अपील का का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

आवेदक श्री. राधेश्यास गोयल साकिन 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रासंगिक पत्र [illegible]ांक, आवेदन के बिन्दु संख्या 4 में नगरप[illegible] से जिस अवधि तक कार्यरत रहे उस अवधि की सूच[illegible] व प्रमाणित प्रति चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई- मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शमिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो (संलग्न है।)

यदि प्रार्थी चाहे ते वह इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर सूचना से संबंधित किसी दस्तावेज को चिन्हित कर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकता है।

-sd-
आयुक्त
नगर परिषद्, श्रीगंगानगर

चूंकि बिन्दु संख्या 5 की सूचना का सम्बन्ध आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर से है और अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अपील सुनने का **क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण बिन्दु संख्या 5 की हद तक अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी यदि चाहे तो आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनः प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 31.08.2020 से बिन्दु संख्या 2 व 3 का एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 25.08.2020 से बिन्दु संख्या 1 व 5 का जवाब उक्तानुसार दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्ट[illegible] उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 1, 2 व 4, 5 का जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अवधि स्पष्ट नहीं होने की वजह से सूचना दी जानी सम्भव नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है यदि अपीलार्थी वांछित सूचना की अवधि से अवगत करवा देवें तो उसे बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested